संख्या:– /XXVII(1)/2007

प्रेषक,

एल0एम0 पन्त,
अपर सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्,
दुगड्डा, पौडी गढवाल।

वित्त अनुभाग–1 देहरादून: दिनांक: २३ मई,2007

विषय:– द्वितीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर लिए गये निर्णयानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु नगर पालिका परिषद् दुगड्डा को धनराशि का संक्रमण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर सचिव, शहरी विकास विभाग,उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–690/iv/07–47(सा)/06 दिनांक 17 मई,2007 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार नगर पालिका परिषद्, दुगड्डा को विशेष परिस्थिति के रूप में रू0 800000 (रू0 आठ लाख मात्र) समनुदेशन की अग्रिम धनराशि के रूप में संक्रमित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों प्रतिबन्धों के साथ संक्रमित की जा रही है।

(i) संक्रमित की जा रही अग्रिम की धनराशि निकाय को वित्तीय वर्ष 2007–08 में समनुदेशन के रूप में मिलने वाली आगामी किश्तों की धनराशि से समायोजित कर ली जायेगी। उक्त निकाय को द्वितीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार 2007–08 में संक्रमण की जाने वाली धनराशि के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(ii) संक्रमित की जा रही धनराशि का प्रथमतः उपयोग कर्मचारियों के वेतन/पेंशन आदि के भुगतान पर किया जायेगा। अवशेष रहने पर धनराशि का उपयोग शासनादेश संख्या–1674/XXVII(1)/2006 दिनांक 22 नवम्बर,2006 द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अन्तर्गत किया जायेगा। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्ययवर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

(iii) संक्रमित की जा रही धनराशि को कोषागार से आहरित करने के लिए बिल सम्बंधित जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

(iv) नगर विकास विभाग संक्रमित धनराशि के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेगें तथा इसके समुचित उपयोग के उत्तरदायित्व होगें। कोषागार से आहरित धनराशि का बाउचर संख्या तथा दिनांक की सूचना महालेखाकार एवं उत्तराखण्ड एवं शासन को भेजेगें।

(v) शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ठ शर्तों का अनुपालन विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक / मुख्य/ वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेगें यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो वित्त नियत्रंक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जायेगी।

3— इस सम्बंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007—08 के आय—व्ययक (लेखानुदान) की अनुदान सं0—07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक —3604—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन—आयोजनेत्तर—01—नगरीय स्थानीय निकाय—192—नगर पालिका/नगर निकाय—03—राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन—00—20—सहायक अनुदान /अंशदान /राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(एल0एम0 पन्त)
अपर सचिव, वित्त

संख्याः—421 (1)/XXVII(1)/2007 तद्दिनांकः—

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महोलखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2— मण्डलायुक्त गढवाल मण्डल पौडी, उत्तराखण्ड।
3— सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4— निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय, देहरादून।
5— जिलाधिकारी, पौडी गढ़वाल, उत्तराखण्ड। ।
6— निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7— मुख्य/वरिष्ठ /कोषाधिकारी, पौडी गढ़वाल।
8— विभागीय अधिकार/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो।
9— निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
10— एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,

13/12/2007

(एल0एम0 पन्त)
अपर सचिव, वित्त